F — पहचान, संपर्क एवं अभिगम्यता

तहसील / राजस्व / प्रमाण पत्र कार्यालय

यह संस्थान क्या है

तहसील कार्यालय (तहसीलदार का कार्यालय या राजस्व कार्यालय भी कहा जाता है) वह स्थान है जहाँ एक युवा को वे दस्तावेज़ मिलते हैं जो बाकी सब कुछ खोलते हैं — आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तथा भूमि अभिलेख। इन प्रमाण पत्रों के बिना आप छात्रवृत्तियों, सरकारी नौकरियों, शिक्षा में आरक्षित सीटों, या अनेक सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तहसीलदार प्रमाणन प्राधिकारी हैं। प्रत्येक जिले में सामान्यतः उसके आकार के आधार पर 3-10 तहसीलें होती हैं।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आपको छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र चाहिए, आरक्षित-वर्ग आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए, या सरकारी नौकरी के लिए अधिवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो यही वह कार्यालय है जो इसे जारी करता है। यहाँ देरी सीधे बाकी सब कुछ में देरी करती है।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
संबंधित राज्य भूमि राजस्व संहिताएँ / अधिनियम	भूमि अभिलेखों एवं राजस्व प्रशासन के लिए राज्य-विशिष्ट नियम
ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड परियोजना (डिजिटल इंडिया)	ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रसंस्करण ढाँचा
संबंधित राज्य लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस)	प्रमाण पत्र वितरण के लिए अनिवार्य समय सीमाएँ (सामान्यतः 7-15 दिन)
डिजिलॉकर (सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2016) तथा उमंग (NeGD/MeitY)	डिजिलॉकर डिजिटल हस्ताक्षरित सरकारी अभिलेखों के लिए वैधानिक डिजिटल भंडार है; राज्य ई-डिस्ट्रिक्ट मंचों के माध्यम से जारी प्रमाण पत्र जारी करने वाले विभाग द्वारा नागरिक के डिजिलॉकर खाते में भेजे जाते हैं; उमंग केंद्रीय/राज्य सेवाओं के लिए एकीकृत मोबाइल फ्रंट-एंड है तथा कुछ राज्यों में तहसील-जारी प्रमाण पत्र आवेदनों को प्रारंभ या ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है

- **केंद्र:** डिजिटल इंडिया (ई-डिस्ट्रिक्ट MMP वित्त-पोषण)
- **राज्य:** राज्य राजस्व विभाग → जिलाधिकारी (DM) → उप-मंडल अधिकारी (SDM)
- **तहसील:** तहसीलदार → नायब तहसीलदार → राजस्व निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल / कानूनगो — राज्य-विशिष्ट पदनाम)
- **वित्त-पोषण:** राज्य राजस्व विभाग बजट; ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली लागत केंद्र-राज्य के बीच साझा

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
तहसीलदार	मुख्य अधिकारी — प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, राजस्व मामले संभालते हैं, तहसील का प्रबंधन करते हैं
नायब तहसीलदार	उप-तहसीलदार — प्रमाण पत्र सत्यापन, राजस्व न्यायालय के मामले
कानूनगो / राजस्व निरीक्षक	पटवारी/लेखपाल तथा नायब तहसीलदार के बीच पर्यवेक्षी परत; पटवारी हलकों के एक मंडल की देखरेख करते हैं, भूमि-अभिलेख प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करते हैं
राजस्व निरीक्षक / लेखपाल / पटवारी	क्षेत्र-स्तरीय अधिकारी जो गाँव के अभिलेख जाँचकर दावों का सत्यापन करते हैं (UP में लेखपाल; अनेक अन्य राज्यों में पटवारी)
डेटा एंट्री ऑपरेटर / क्लर्क	ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्कृत करते हैं, प्रमाण पत्र मुद्रित करते हैं, फाइलों का प्रबंधन करते हैं

अनिवार्य सेवाएँ

- प्रमाण पत्र जारी करना: आय, जाति (SC/ST/OBC), अधिवास/निवास, सॉल्वेंसी, चरित्र — छात्रवृत्तियों, सरकारी नौकरियों, कॉलेज प्रवेश, तथा योजना पात्रता के लिए आवश्यक
- भूमि स्वामित्व अभिलेख (खतौनी/जमाबंदी) बनाए रखना एवं अद्यतन करना, म्यूटेशन (नाम अंतरण) प्रसंस्कृत करना, तथा भूमि राजस्व विवादों का समाधान करना
- संबंधित राज्य लोक सेवा का अधिकार अधिनियमों के अंतर्गत अनिवार्य समय सीमाओं (सामान्यतः 7-15 दिन) के भीतर प्रमाण पत्र वितरित करना
- ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड परियोजना (MeitY) के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अपने राज्य ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जाति, आय एवं अधिवास प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित PDFs के रूप में जारी करता है, जो आवेदक द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं तथा आवेदक के डिजिलॉकर में भेजे जाते हैं; 2025 तक, सभी 36 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में लगभग 2,000 ई-गवर्नमेंट सेवाएँ डिजिलॉकर के साथ एकीकृत हैं
- भूमि विवादों के लिए राजस्व न्यायालय संचालित करना

संबंधित योजनाएँ

- **प्री-मैट्रिक / पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ** — आवेदन के लिए आय एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यक
- **सरकारी नौकरी आवेदन** — अधिवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यक
- **PMAY (आवास)** — पात्रता सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र
- **आरक्षित श्रेणी कॉलेज प्रवेश** — जाति प्रमाण पत्र आवश्यक
- **EWS आरक्षण** (केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष भर्ती तथा शैक्षणिक संस्थानों में 10%) — DoPT OM 36039/1/2019-Estt.(Res.), दिनांक 31 जनवरी 2019 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित; तहसीलदार सूचीबद्ध सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारियों में से एक हैं (DM/SDM/कलेक्टर तथा उम्मीदवार के क्षेत्र के SDO के साथ)
- **भूमि म्यूटेशन** — भूमि स्वामित्व अभिलेखों का अंतरण यहाँ प्रसंस्कृत होता है

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: राज्य ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल — edistrict.up.gov.in (UP), mpedistrict.gov.in (MP), emitra.rajasthan.gov.in (राजस्थान), saralharyana.gov.in (हरियाणा), serviceonline.bihar.gov.in (बिहार)

राष्ट्रीय चैनल: उमंग ऐप (web.umang.gov.in) — एकल फ्रंट-एंड पर केंद्रीय एवं राज्य सेवाओं में आवेदन प्रारंभ / ट्रैक करें। डिजिलॉकर (digilocker.gov.in) — राज्य ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टलों द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं संग्रहीत करें। CSC (सामान्य सेवा केंद्र) आउटलेट — स्मार्टफोन या इंटरनेट के बिना लोगों के लिए सहायता-प्राप्त जमा एवं मुद्रण।

अन्य: जिले की वेबसाइट पर "[जिले का नाम] tehsil list" खोजें; प्रत्येक तहसील कार्यालय तहसील मुख्यालय शहर में होता है

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील तहसील कार्यालय में ये सुविधाएँ होनी चाहिए: ई-डिस्ट्रिक्ट आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए इंटरनेट युक्त कंप्यूटर, आवेदन प्राप्त करने एवं ट्रैक करने के लिए एक काउंटर, तथा प्रत्येक प्रकार के प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य समय सीमाओं एवं शुल्क सूची के बारे में प्रदर्शित जानकारी।

एक क्रियाशील तहसील कार्यालय कैसा दिखता है

- आय प्रमाण पत्र अनिवार्य समय सीमा (7-15 दिन) के भीतर प्राप्त किया जा सके
- ई-डिस्ट्रिक्ट / ऑनलाइन प्रणाली कार्यशील हो — आवेदक बिना दौरा किए स्थिति ट्रैक कर सकें
- लेखपाल/पटवारी क्षेत्र सत्यापन के लिए महीनों की प्रतीक्षा के बिना उपलब्ध हों
- आवेदन स्थिति स्पष्ट समय सीमा के साथ ऑनलाइन ट्रैक की जा सके
- मानक प्रक्रिया के माध्यम से प्रथम-पीढ़ी के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हों
- शुल्क सूची प्रदर्शित हो तथा आधिकारिक दरों से मेल खाती हो

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु तहसीलदार / नायब तहसीलदार है। भूमि-अभिलेख मुद्दों के लिए, राजस्व निरीक्षक / लेखपाल / पटवारी अग्रिम-पंक्ति है। तहसील पर जनसुनवाई दिवस वैधानिक मंच हैं।

सेवा के बाद। एस्केलेशन उप-मंडल अधिकारी (SDM), जिलाधिकारी, तथा संभागीय आयुक्त तक होती है। राज्य राजस्व विभाग के पास अंतिम प्रशासनिक अधिकार है।

बाहरी। संबंधित राज्य लोक सेवा का अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र-वितरण देरी के लिए समय-बद्ध अपील तंत्र प्रदान करते हैं। राज्य ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टलों में अंतर्निहित शिकायत मॉड्यूल हैं। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) (pgportal.gov.in) ग्रामीण विकास / भूमि संसाधन मंत्रालय की शिकायतें संभालती है। जाति-प्रमाण पत्र अस्वीकृति के लिए, SC/ST आयोग तथा OBC आयोग के पास संबंधित अधिकार-क्षेत्र हैं।

—-